



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2016/वैशाख 21, 1938

No. 332]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2016/VAISAKHA 21, 1938

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2016

सा.का.नि. 498(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 787(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. इन अधिसूचना में,—

(i) मद (i) में "संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार" शब्दों के स्थान पर "अपर सचिव" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2/4/2015-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 787(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 857(अ), तारीख 16 नवंबर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2016

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs notification number G.S.R. 787(E) dated the 15th October, 2015 published in the Gazette of India, namely:—

2. In the said notification,—

(i) in item (i), for the words "Joint Secretary and Legal Advisor" the words "Additional Secretary" shall be substituted.

[F. No. 2/4/2015-PI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note:The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. No. 787(E) dated 15th October, 2015, subsequently amended *vide* G.S.R. No. 857(E), dated 16th November, 2015.